turday

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 अथवा बहुविध विकलांगता अधिनियम

National Trust Act, 1999 OR Multiple Disability Act

इस अधिनियम का निर्माण सन् 1999 में विविध प्रकार की विकलांगताओं के लिए किया गया था। जिसमें मन्दता स्वलीनता तथा लकवा आदि विकलांगताएं को सम्मिलित किया गया। धीरे-धीरे इसमें सभी प्रकार की विकलांगताओं को सम्मिलित करके इसे व्यापक रूप प्रदान किया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है।

(1) अधिनियम की संरचना (Structure of Act)

Sunday इस अधिनियम के अन्तर्गत एक न्यास का निर्माण किया गया जो कि विकलांग व्यक्तियों के हित की सुरक्षा करता है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चेयरमेन की नियुक्ति की गयी है। जिनके संरक्षण में सभी सहयोग से

Important Calls ✓ Things to Do

कार्य करेगी। इसमें PWD अधिनियम 1995 को आधार मानकर विकलांगों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इसमें उन सभी आवश्यकताओं को शामिल किया गया जो कि विकलांगों के कल्याण से सम्बन्धित थे। इस आधार पर इसका नाम—

"The National Trust for persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999 रखा गया। इसे संक्षिप्त रूप में National Trust Act 1999 के रूप में भी जाना जाता है।

② राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के उद्देश्य
Aims of National Trust Act 1999 —

इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्न है-

① विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे वे बिना किसी की सहायता के अपने दैनिक कार्यों को सम्पन्न कर सकें तथा किसी भी प्रकार की दयनीय स्थिति में न रहें।

② इस अधिनियम के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को जिस समाज में वे रहते है

Important Calls | Things to Do | Meetings

उनके समीप लाना है जिससे सामाजिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करके आत्मगौरवान्वित हो सके तथा समाज से अलग न हो।

③ कुछ परिवार ऐसे होते है कि अपने विकलांग सदस्य की सहायता करने की स्थिति में नहीं होते या सहायता नहीं करना चाहते इस स्थिति में इस अधिनियम के माध्यम से उन विकलांग बालक-बालिकाओं की सहायता की जाती है जिससे वे सक्षम बन सके।

④ इस अधिनियम के माध्यम से उन उपायों की खोज की जाती है जो कि विशेष परिस्थितियों में विकलांगों की सहायता के लिए प्रयोग किए जा सके।

Exp. अनेक विकलांगों के माता-पिता एवं संरक्षकों की मृत्यु हो जाती है तथा वे असहाय हो जाते है तब इस अधिनियम द्वारा उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है इस अधिनियम के माध्यम से अनाथ बालक-बालिकाओं की सुरक्षा

के लिए जो विकलांग हैं, संरक्षकों की नियुक्ति की जाती है। उन व्यक्तियों को खोजा जाता है जो कि इस कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तथा सक्षम होते हैं। इससे उन विकलांगों को असहाय एवं अनाथ होने का दुरवा नहीं होता।

(5) विकलांग छात्र-छात्राओं को कक्षा-कक्ष एवं विद्यालयी व्यवस्था में तथा व्यक्तियों को सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है जिससे वे सामान्य व्यक्तियों की भाँति ही अपने आपको समझते हैं।

(3) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के बोर्ड की शक्तियाँ एवं दायित्व (Power of Duties of the Board of National Trust Act 1999)

इस अधिनियम की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया जिसकी शक्तियाँ एवं दायित्व निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किये गये।

(1) बोर्ड के द्वारा विकलांग बालक-बालिकाओं के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिए तथा उनके -

जीवन स्तर को सुधारने हेतु सरकार से एक साथ 100 करोड़ रुपये (समयानुसार परिवर्तित) का अनुदान प्राप्त किया जाता है। तथा इसको आवश्यकता के अनुरूप व्यय किया जाता है।

(2) बोर्ड के द्वारा उन सभी चल सम्पत्तियों को स्वीकार किया जाता है जो दान के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। इन सम्पत्तियों के माध्यम से विकलांग बालक - बालिकाओं का कल्याण होना निश्चित हो तथा इस अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करने में वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हो।

(3) Board के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के परिवारों एवं उनके अभिभावकों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से वे अपने बालक - बालिकाओं को शैक्षिक सामाजिक कल्याण में सहायता करते है।

4) Board द्वारा स्थानीय समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां विकलांगों को संरक्षण प्रदान करती है तथा उनके

विविध कार्यक्रम संचालित किये जाते है जो कि विकलांगों के हित में होते हैं। Board द्वारा इन समितियों को आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

④ पंजीकरण व्यवस्था (Registration System)

बोर्ड द्वारा अपने कार्यभार को कम करने के लिए तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए Registration की Process को अपनाया जाता है। जो भी समूह या संस्था विकलांगों की सेवा करना चाहते है उनको Board के पंजीकरण हेतु आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद बोर्ड द्वारा उनके उद्देश्य, गतिविधियाँ एवं प्रयत्नों का मूल्यांकन किया जाता है।

यदि प्रयत्न सही है तो Board उस संस्था को पंजीकृत कर लेता है। यदि कोई कमी है तो उसे सुधारने के निर्देश देते हुए पुनः आवेदन हेतु प्रस्ताव कर देता है।